

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी	सर्वश्री टेलको कान्सट्रक्सन इक्वूपमेन्ट कम्पनी लि0, बी-97, फेस-2, नोएडा ।
प्रार्थना पत्र संख्या व	322 / 08, 07.07.2008
दिनांक	
प्रार्थी की ओर से	कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री टेलको कान्सट्रक्सन इक्वूपमेन्ट कम्पनी लि0 द्वारा दिनांक 07.07.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. Since we would be getting our machines from Dharwad and Jamshedpur, Are we liable to pay Entry Tax on our machines ? If yes, at what rate?

2. These machines will be further billed to our dealers in U.P. and outside U.P., Are we liable to pay Entry Tax if these machines are billed in the same month in which these machines are received? If yes, will we be getting set-off of this Entry Tax and what will be the modalities?

3. If these machines are billed in subsequent months what will be the modalities for set-off?

4. If these machines are billed by us to the end user / customer directly by us what will be the modalities for set-off / refund in that case?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 19.12.2013 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि प्रान्त बाहर से मशीनें लाकर उन्हें बेचा जायेगा और इस पर प्रवेश कर की दर जाननी चाही गयी है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, नोएडा जोन, नोएडा द्वारा पत्र संख्या-1337, दिनांक 06.09.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि स्थानीय क्षेत्र के बाहर से, जिसमें प्रान्त बाहर के सभी स्थान सम्मिलित है, से लायी जाने वाली मशीनों पर 2% की दर से प्रवेश कर की देयता है । प्रवेश कर अधिनियम की धारा-5 के प्राविधानों के अनुसार इन मशीनों की बिक्री स्थानीय क्षेत्र के बाहर के व्यापारियों को करने पर प्रवेश कर का समायोजन देय होगा तथा स्थानीय क्षेत्र के अन्दर बिक्री करने पर समायोजन देय नहीं होगा ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि मशीनरी पर विज्ञप्ति संख्या-2757, दिनांक 29.09.2008 से प्रवेश कर की देयता लायी गयी थी जो निम्न भौति थी :-

"मशीन एवं मशीन के पुर्जे जिनकी कीमत रु0 10,00,000/- या उससे अधिक हो "।

सर्वश्री टेलको कान्सट्रक्सन इक्विपमेन्ट कम्पनी लि0 / प्रा0 पत्र सं0-322 / 08 / धारा-59 / पृष्ठ-2

उक्त प्रविष्टि विज्ञप्ति संख्या-1045, दिनांक 29.05.2009 के द्वारा प्रभावी दिनांक 01-06-2009 से विलोपित कर दी गई। इस प्रकार दिनांक 30.09.2008 से 31.05.2009 तक रु0 10,00,000/- या उससे अधिक की मशीनरी व उसके पुर्जे पर प्रवेश कर की देयता थी। शेष तीनों प्रश्न प्रवेश कर के सेट आफ से सम्बन्धित हैं। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसके साथ ही मशीनों पर देय प्रवेश कर के सेट आफ की कोई विज्ञप्ति नहीं है। प्रवेश कर अधिनियम की धारा-5 के प्राविधान सेट आफ से सम्बन्धित नहीं हैं।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, नोएडा जोन, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्नों के सन्दर्भ में विधिक स्थिति निम्न भाँति पायी गयी :-

(1) रु0 10,00,000/- या उससे अधिक कीमत की मशीन व उसके पुर्जे पर दिनांक 31.05.2009 तक 2% की दर से प्रवेश कर की देयता रही है।

प्रश्न संख्या-2, 3 एवं 4 प्रवेश कर के सेट आफ से सम्बन्धित हैं। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों में प्रवेश कर के सेट आफ का प्रश्न आच्छादित नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 02 जनवरी, 2014

ह0 / 02.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।